A 4/1

<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 104/2019

राजेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल, जाति जाट, निवासी वार्ड नं0 24, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चिडावा तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.11.2019 न्यायालय तहसीलदार चिडावा उनवानी सरकार बनाम राजेश कुमार अ0धा0 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956, मु0न0 10/19

——

उपस्थित:–

1. श्री कमेर सिंह, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक 02.11.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीले तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 15.11.2019 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है:– अपीलान्ट ने मौके पर भूमि खसरा नम्बर 647 कुल रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गैर मुम्कीन रास्ते का 94 वर्गमीटर पर पक्का निर्माण करके अतिकमी बताया है यह गलत है। अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। खसरा नम्बर 648/1 व खसरा नम्बर 651/1 रकबा 0.1000 हैक्टर व 0.1250 हैक्टर कुल रकबा 0.2250 हैक्टर का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट न होकर सन्तोष स्त्री राजेश है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि संतोष देवी के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के अलावा अन्य कोई भूमि अपीलान्ट के नाम से दर्ज नही है। खसरा नम्बर 648/1 व 651/1 की खातेदार सन्तोष देवी व 648/2 व 651/2 की खातेदार द्रोपती देवी पत्नि [illegible] है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पूर्वी दिशा एवं दक्षिणी दिशा मे आम रास्ता है। उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 647 रकबा 0.16 हैक्टर है। उक्त रास्ता मौके पर प्रचलित है। मौके पर 13 फीट का आम रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी महोदय की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2019 गलत आधारो पर मौके पर नही जाकर तहसील मे ही बैठकर ही बनाई है। पटवारी मौके पर जाता तो रास्ता चालू अवस्था मे है। उस पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 647 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि बताया गया है। उस भूमि पर किसी पर अतिक्रमण नही है। मौके पर पटवारी हल्का फर्द गलत आधारों पर प्रस्तुत की गई है। राजनीतिक आधारों पर पटवारी महोदय के साथ अपीलान्ट की नही बनती है। इस कारण मौके की गलत रिपोर्ट बनाई है। मौके पर आम रास्ता चालू है। जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15.11.2019 का है परन्तु अपीलान्ट दिनांक 16.12.2019 को अदालत मातहत मे गया तो रीडर ने बताया कि निर्णय 15.11.2019 को ही हो चुका है जिस पर नकल प्राप्त करके आज अपील श्रीमान्जी की अदालत मे प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अगर अपील अन्दर मियाद ना मानी जावे तो अपीलान्ट को दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित रहेगा। दफा 5 का आवेदन पत्र अलग से पेश है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलान्ट को आगामी

A

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पेशी 16.12.2019 नियत करने के उपरान्त अदालत मातहत ने बाला–बाला दिनांक 15.11.2019 को ही निर्णय पारित कर दिया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जबाब देही का भी अवसर नही दिया। अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की भी पालना नही की है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने मौके पर भूमि खसरा नम्बर 647 कुल रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ते का 94 वर्गमीटर पर पक्का निर्माण करके अतिक्रमी बताया है यह गलत है। अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। खसरा नम्बर 648/1 व खसरा नम्बर 651/1 रकबा 0.1000 हैक्टर व 0.1250 हैक्टर कुल रकबा 0.2250 हैक्टर का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट न होकर सन्तोष स्त्री राजेश है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि संतोष देवी के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के अलावा अन्य कोई भूमि अपीलान्ट के नाम से दर्ज नही है। खसरा नम्बर 648/1 व 651/1 की खातेदार सन्तोष देवी व 648/2 व 651/2 की खातेदार द्रोपती देवी पत्नि भागीदारान है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पूर्वी दिशा एवं दक्षिणी दिशा मे आम रास्ता है। उक्त रास्ते का खसरा नम्बर 647 रकबा 0.16 हैक्टर है। उक्त रास्ता मौके पर प्रचलित है। मौके पर 13 फीट का आम रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। पटवारी महोदय की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.07.2019 गलत आधारो पर मौके पर नही जाकर तहसील मे ही बैठकर ही बनाई है। पटवारी मौके पर जाता तो रास्ता चालू अवस्था मे है। उस पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम चिडावा स्थित भूमि खसरा नम्बर 647 कुल रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ते में से 94 वर्गमीटर पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट अपने बचाव मे विवादित भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध मे समुचित साक्ष्य/दस्तावेज से अपना पक्ष नही रख पाया जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15.11.2019 यथावत रखा जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
02/11/2020